न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

152/2021
सीएमएस : 2021/331

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर श्रीगंगानगर । –:वादी

बनाम

1. दर्शना पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा साकिन रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92क राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 04.08.2021

उपस्थित अधिवक्तागण
1. राजपैरोकार सरकार ।
2. श्री अजय तनेजा अधि. प्रति.सं. 1 ।

–: **निर्णय** :– दिनांक:–11–07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिस्वामी/भूमिधारक है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि पर हर प्रकार की विधिक शक्तियां प्राप्त है। प्रतिवादी के नाम चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.न. 204/295 के कि.नं. 4/1 में 0.152 है. इस प्रकार कुल 0.152 है. बारानी कृषि भूमि है वादग्रस्त भूमि का वादी भूस्वामी है तथा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है जिसके तहत प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि पर वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करने के विस्तृत अधिकार मिले है। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य ना करते हुए अकृषि कार्य किया जा रहा है और इसे आवासी रूप में प्रयोग किया जा रहा है व मौका पर मकान बना रखे है प्रतिवादी का यह कृत्य विधि विरूद्व है। वादी के द्वारा जन कल्याणकारी उदेश्य के तहत भरपुर खाद्यान्न उत्पन्न करने हेतु ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा रहे है ताकि आमजन को भरपुर खाद्यान्न मिल सके तथा ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज हो सके इसी उदेश्य के तहत प्रतिवादी को भी वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं उससें संबंधित कार्य करने हेतु खातेदारी अधिकार दिये थे और इसी अधिकार को प्रदान करते प्रतिवादी एवं वादी के मध्य विधि के तहत कृषि कार्य करने हेतु शर्त भी तय हुई थी जिनकी पालना प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि से अन्य कार्य किये जा रहे है जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है। अगर प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य के अलावा अन्य आवासीय एवं वाणिज्यिक कार्य के रूप में प्रयोग करना था तो यह भूमि का कृषि से अकृषि अथवा आवासीय अथवा वाणिज्यिक करवाकर प्रयोग में ले सकता है परन्तु प्रतिवादी द्वारा राजस्व को हानि पहुंचाने के उददश्य से एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से उपर्युक्त वादग्रस्त रकबा की किस्म परिवर्तन करवाये बिना गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जा रहा है प्रतिवादी के उक्त कृत्य का वादी को दिनांक 16.02.2021 को पटवारी हल्का 11 टीके की रिपोर्ट मिलने पर पता चला इससें पूर्व वादी को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि से संबंधित मिले अधिकारों का उल्लंघन किया है जिसका दिनांक 16.02.2021 को मालूम होने पर उन्हे कब्जा छोड़ने का कहा तो ऐसा करने से मना किया तो उन्होने इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाये मुखास्मत है बिनाय दावा प्रतिवादी को काश्तकारी अधिकार मिलने के रोज से प्राप्त है। पक्षकारों के मध्य विवाद बढ़ जायेगा तथा मुकदमाबाजी बढ़ जायेगी इसलिये वादी, प्रतिवादी के विरूद्व व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार है। वाद श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है अन्दर मियाद पेश है। वाद राजस्थान सरकार की ओर से पेश किया गया है जो न्याय शुल्क देय नहीं [illegible] निवेदन है कि वाद –वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमा[illegible] के चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 26 पं.न. 20[illegible] के कि[illegible]/1 [illegible]152 है. बारानी भूमि की खातेदारी निरस्त कर सिवाय चक [illegible] एवं प्रतिवादी [illegible] खल कर कब्जा वादी को सौपने के आदेश प्रदान किया जावे।

2. वादी अर्थात सरकार की तरफ से वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अजय तनेजा अधिवक्ता हाजिर होकर जवाब दावा पेश किया है कि उक्त प्रकरण में जो विवादित भूमि है, उसको कन्वर्ट करवाने के लिए मुझ प्रतिवादीया द्वारा नगरपालिका में कार्यवाही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

गई है और विवादित भूमि को कृषि से गैर कृषि कार्य में कन्वर्ट करने के लिए पत्रावली नगरपालिका रायसिंहनगर में विचाराधीन है परन्तु श्रीमान् जी के स्थगन आदेश की वजह से यह कार्यवाही रूकी हुई है मेरे द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई गैर कृषि कार्य नहीं किया गया है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का वाद पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

3. उक्त प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक न.पा.रा./2025–26/राजस्व/567 दिनांक 17.06.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 टीके का मु.नं. 26 के कि.नं. 4/1 में कृषि भूमि से गैर कृषिक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन प्रस्तुत हुए है उपरोक्त आवेदित भूमि का गैर कृषिक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लोक सूचना व प्रारूप 7 व 8 में तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है किन्तु प्रश्नगत स्थल के संबंध में श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण लंबित है अतः आगामी कार्यवाही से पूर्व रिकार्ड के संबंध में यथोचित निर्देश प्रदान करे।

4. बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए राज. का0 अधि. सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के भू0 रूपान्तरण करवाये जाने बाबत् नगरपालिका रायसिंहनगर मे संपरिवर्तन पत्रावली पेश की जा चुकी है भूमि का गैर कृषिक वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु निर्धारित प्रकिया अनुसार लोक सूचना व प्रारूप 7 व 8 में तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जब तक प्रकरण धारा 177–209–92ए आरटीएक्ट के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगरपालिका द्वारा संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 177–209–92 ए का उदेश्य काश्तकार को भूमि से बेदखल करना नहीं है अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर के यहां लम्बित है इस भूमि को रकबा राज किया जाना कठोर कार्यवाही होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी/प्रतिवादी को संपरिवर्तन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय दिया जाना उचित है।

–:आदेश:–

अतः न्यायहित में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि प्रतिवादी तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी से संपरिवर्तित करवाकर आदेश की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा इस अवधि के पश्चात तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत आराजी भूमि का भू. रूपान्तरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो पुनः वाद पत्र को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में भूमि संपरिवर्तन यदि अप्रार्थी नहीं करवाता है तो इसकी सूचना तहसीलदार रायसिंहनगर व इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। मूल वाद के साथ प्रार्थना में दिनांक 04.08.2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

152/2021
...मएस : 2021/331
...राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर श्रीगंगानगर । –:वादी
बनाम
...दर्शना पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा साकिन रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर।
–:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92क राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक : 11.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी ...पैरोकार, श्री अजय तनेजा अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री ...जाती है :–वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177–209–92 ए आरटीएक्ट इस शर्त के साथ खारिज ...या जाता है कि प्रतिवादी तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी से ...परिवर्तित करवाकर आदेश की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर के कार्यालय में प्रस्तुत ...रें। अन्यथा इस अवधि के पश्चात तहसीलदार रायसिंहनगर पुनः इस वाद पत्र/प्रार्थना पत्र ...ो रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है ...क निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत आराजी भूमि का ... रूपान्तरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो पुनः वाद पत्र को रिस्टोर ...करवाकर आगामी कार्यवाही करे। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर को निर्देशित ...किया जाता है कि निर्धारित अवधि में भूमि संपरिवर्तन यदि अप्रार्थी नहीं करवाता है तो इसकी ...सूचना तहसीलदार रायसिंहनगर व इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

डिक्री आज दिनांक 11.07.2025 को जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:27:57 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner